क्रम-संख्या–72

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 11 मार्च, 2026

फाल्गुन 20, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग–4

संख्या 54/दो-4–2026-02-4003(002) / 2-2025

लखनऊ, 11 मार्च, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–18

संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (अठारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2026

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (एक) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (अठारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2026'' कही जायेगी।

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

2–उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1

(विद्यमान नियम)

5–भर्ती का स्रोत– सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगीः

(क) श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता के सिद्धान्त और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर ऐसे सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) में से जो उस संवर्ग में अन्यून 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करते हों, पदोन्नति द्वारा।

(ख) न्यूनतम पांच वर्षों की अर्हकारी सेवा रखने वाले सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, श्रेष्ठता के आधार पर सर्वथा पदोन्नति द्वारा।

(ग) आवेदन–पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत अन्तिम दिनांक को न्यूनतम सात वर्षों से एक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वाराः

परन्तु यह कि ऐसे अधिवक्ताओं को ही परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दी जायेगी, जो किसी न्यायालय के समक्ष भर्ती हेतु विज्ञापन के प्रकाशन वर्ष से, पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अनारक्षित श्रेणियों के लिए 30 मामले (सामूहिक मामलों से भिन्न) और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 24 मामले (सामूहिक मामलों से भिन्न) से अन्यून मामले को संचालित करने में स्वतंत्र रूप से लगे हुए हों। ऐसे स्वतंत्र विनियोजन का प्रमाण–पत्र यथास्थिति जिले का जिला एवं सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के महानिबंधक/ निबन्धक या उच्चतम न्यायालय के महासचिव द्वारा जारी किया जायेगा।

स्तम्भ–2

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

5–भर्ती का स्रोत– सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगीः

(क) श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे सिविल जजों (सीनियर डिवीजन) में से जो उस संवर्ग में अन्यून 05 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करते हों, पदोन्नति द्वारा।

(ख) उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में कम से कम सात वर्ष की सेवा और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) संवर्ग में अन्यून तीन वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा रखने वाले सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, श्रेष्ठता के आधार पर सर्वथा पदोन्नति द्वारा।

(ग) आवेदन–पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत अंतिम दिनांक को अन्यून सात वर्षों के लिये अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वाराः

परन्तु यह कि केवल ऐसे अधिवक्ता ही अर्ह होंगे जिन्होंने भर्ती के विज्ञापन के प्रकाशन वर्ष से पूर्व के अन्तिम तीन वर्षों में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष स्वतंत्र रूप से अन्यून निम्नलिखित मामलों का संचालन किया होः

(एक) अनारक्षित श्रेणियों के लिए 30;

(दो) इस नियमावली के अनुसार आरक्षण के हकदार अभ्यर्थियों के लिए 24;

स्पष्टीकरणः किसी विशेष समूह/ चिन्हित किए गए/एक साथ/समान मामलों में उपस्थिति को एक ही मामले में उपस्थिति के रूप में गणना किया जाएगा।

उपरोक्त आशय का प्रमाणन ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे चयन समिति द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय।

नियम 6 का प्रतिस्थापन

3– उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1

(विद्यमान नियम)

6–कोटा विभिन्न स्रोतों से भर्ती के लिए नियम 8 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित कोटा होगा–

(एक)– उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवाः

(क) श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में से .... 65 प्रतिशत

स्तम्भ–2

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)

6– कोटा विभिन्न स्रोतों से भर्ती के लिए नियम 8 के उपबंधों के अध्यधीन निम्नलिखित कोटा होगा–

(एक)– उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवाः

(क) श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में से, मानक दिव्यांगजन के लिये आरक्षण के नियम के अध्यधीन (इस नियमावली के नियम 7 के अधीन) ....50 प्रतिशत

स्तम्भ—1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(ख) न्यूनतम पांच वर्षों की सेवा रखने वाले सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के ......10 प्रतिशत :	(ख) सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से श्रेष्ठता के आधार पर उस संवर्ग में अन्यून तीन वर्ष की निरन्तर सेवा रखने वाले और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में अन्यून सात वर्ष की सेवा रखने वाले में से, मानक दिव्यांगजन के लिए आरक्षण के नियम (इस नियमावली के नियम 7 के अधीन) के अध्यधीन ...25 प्रतिशतः
परन्तु यह कि अन्तः संवर्गीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों में कोई कमी होने की स्थिति में ऐसी पदोन्नति के लिये आरक्षित 10 प्रतिशत की कमी की पूर्ति खण्ड (एक) (क) में निर्दिष्ट सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की पदोन्नति के लिए आरक्षित कोटा में तत्सदृश वृद्धि के द्वारा की जायेगी।	परन्तु यह कि यदि किसी भर्ती चक्र में सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए आरक्षित कोई रिक्ति नहीं भरी जाती है तो उसे उस वर्ष इस नियमावली के खंड (क) के अधीन पात्र सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में से श्रेष्ठता—सह—वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।
	स्पष्टीकरणः सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल0डी0सी0ई0) के माध्यम से रिक्तियों को भरने का कोटा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिसूचित संवर्ग संख्या का 25% होगा। तदनुसार पदोन्नति के लिए प्रत्येक अभ्यास में रिक्तियों को आनुपातिक संख्या में आवंटित की जाएंगी (जब तक अपेक्षित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता)।
(दो) बार से सीधी भर्ती ..... 25 प्रतिशतः	(दो) अधिवक्ता (बार) से सीधी भर्ती ..... 25 प्रतिशतः
परन्तु यह कि जहां कोटा के अनुसार किसी भी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भिन्न में हो तो वहां आधे से कम को छोड़ दिया जायेगा और आधे या उससे अधिक भिन्न को साधारणतया एक मान कर गणना की जायेगी।	परन्तु यह कि जहां (कोटा के अनुसार) किसी भी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या भिन्न में हो तो वहां अन्यून आधे को छोड़ दिया जायेगा और आधे या उससे अधिक भिन्न को साधारणतया एक मान कर गणना की जायेगी।

नियम 18 में, उपनियम (1) के खण्ड (ख) का संशोधन

4—उक्त नियमावली में, नियम 18 में, नीचे स्तंभ—1 में दिए गए उपनियम (1) के विद्यमान खंड (ख) के स्थान पर स्तंभ—2 में दिये गये उपनियम (1) के खंड (ख) को रख दिया जाएगा अर्थातः—

स्तम्भ—1 (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ—2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
18—चयन प्रक्रिया—	**18— चयन प्रक्रिया—**
(1) नियम 16 में निर्दिष्ट चयन समितिः	(1) नियम 16 में निर्दिष्ट चयन समितिः
(ख) यदि पात्र आवेदकों की संख्या रिक्तियों की संख्या से दस गुना अधिक हो तो लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए एक प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित कर सकती है। प्रारम्भिक परीक्षा में नियम 16 के अधीन यथाविहित पाठ्य विवरणों से दो घंटे अवधि के 100 अंकों का एक प्रश्न—पत्र सम्मिलित होगाः	(ख) यदि पात्र आवेदकों की संख्या रिक्तियों की संख्या से दस गुना अधिक हो तो मुख्य लिखित परीक्षा में उस भर्ती वर्ष के लिए सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की उपयुक्तता आंकने के लिए एक प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित कर सकती है। प्रारम्भिक परीक्षा में नियम 16 के अधीन यथाविहित पाठ्य विवरणों से दो घंटे अवधि के 100 अंकों का एक प्रश्न—पत्र सम्मिलित होगाः

स्तम्भ–1 (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
परन्तु यह कि वे अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा के लिए पात्र माने जायेंगे जो श्रेणीवार जैसे सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्तियों की संख्या के बीस गुना के अध्यधीन प्रारम्भिक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों।	परन्तु यह कि वे अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे जो श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के बीस गुना के अध्यधीन प्रारम्भिक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों: परन्तु यह और कि जो श्रेणीवार जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मानक दिव्यांगजन के रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुना के अध्यधीन, प्रारम्भिक परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त किये हों।

नियम 20 का प्रतिस्थापन

5–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
20–नियम 5 (क) में यथानिर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नतिः	20–नियम 5 (क) में यथानिर्दिष्ट न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नतिः
(1) न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता के सिद्धान्त पर और नियम 16 के अधीन यथाविहित ऐसी उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, चयन द्वारा की जायेगी।	(1) न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भर्ती श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता के सिद्धान्त पर चयन द्वारा और नियमावली के नियम 16 के अधीन यथाविहित पाठ्य विवरण के अनुसार उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर की जायेगी। किसी अभ्यर्थी की श्रेष्ठता का निर्धारण करने में, चयन समिति श्रेष्ठता और उपयुक्तता की जांच के लिए ऐसे अन्य मापदंडों को लागू कर सकती है जैसा न्यायालय उचित समझें।
(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए पात्रता का क्षेत्र, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के चार गुने तक सीमित होगी। चयन समिति इस नियमावली के नियम (5) (क) के अधीन पात्र अधिकारियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी।	(2) पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए पात्रता का क्षेत्र, पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के दो गुने तक सीमित होगी। चयन समिति इस नियमावली के नियम 5 (क) के अधीन पात्र अधिकारियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगी।
(3) चयन समिति, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन तैयार की गयी सूची में सम्मिलित अधिकारियों के अभिलेख का परीक्षण करने के पश्चात उन अधिकारियों का प्रारम्भिक चयन करेगी जो उसकी राय में श्रेष्ठता–सह–ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्त किये जाने के योग्य हों। किसी अभ्यर्थी की योग्यता का निर्धारण करने में चयन समिति उसके सेवा अभिलेख, योग्यता, चरित्र और ज्येष्ठता को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगी। सूची में न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों की संख्या से दुगुनी संख्या में अधिकारियों के नाम होंगे।	(3) चयन समिति, इस नियम के उपनियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में सम्मिलित अधिकारियों के अभिलेख और उपयुक्तता परीक्षा में प्राप्त किये गये अंको का परीक्षण करने के पश्चात्, उन अधिकारियों का प्रारम्भिक चयन करेगी, जिन्हें उसकी राय में पदोन्नत किया जाना हो।

स्तम्भ–1 (विद्यमान नियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम)
(4) चयन समिति प्रारम्भिक चयन में चुने गये अभ्यर्थियों की सूची मुख्य न्यायाधिपति को अग्रसारित करेगी जिसके साथ उन अधिकारियों के, यदि कोई हो, नाम होंगे जो समिति की राय में सेवा में पदोन्नति हेतु छोड़ दिये गये हों।	(4) चयन समिति प्रारम्भिक चयन में चुने गए अभ्यर्थियों की सूची मुख्य न्यायाधिपति को अग्रसारित करेगी, जिसके साथ उन अधिकारियों के नाम भी होंगे, जो, उसकी राय में, उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग में पदोन्नत किये जाने योग्य हों। इसमें नियम 6 (एक) के परन्तुक में निर्दिष्ट रिक्तियां सम्मिलित होंगी।
(5) न्यायालय चयन समिति की सिफारिशों का परीक्षण करेगा और पदोन्नति के लिये अंतिम चयन करेगा और उन अभ्यर्थियों की जिन्हें पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा जाये, एक सूची अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–क्रम में तैयार करेगा और उसे राज्यपाल को अग्रसारित करेगा। सूची केवल अगामी भर्ती के समय तक प्रवृत्त रहेगी	(5) न्यायालय चयन समिति की सिफारिशों का परीक्षण करेगा और पदोन्नति के लिये अंतिम चयन करेगा और उन अभ्यर्थियों की, जिन्हें पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा जाये, एक सूची अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता–क्रम में तैयार करेगा और उसे राज्यपाल को अग्रसारित करेगा।

नियम 22 के उपनियम (2) का संशोधन

6– उक्त नियमावली में, नियम 22 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम (2) रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 (विद्यमान उपनियम)	स्तम्भ–2 (एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम)
22– नियुक्तिः–	**22– नियुक्तिः–**
(2) सेवा में नियुक्तियां, रोस्टर प्रणाली के आधार पर की जायेंगी, पहला पद पदोन्नति सूची से भरा जायेगा, दूसरा पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा, तीसरा और चौथा पद प्रोन्नत व्यक्तियों की सूची से भरा जायेगा और पॉचवां पद एल0डी0सी0ई0 के माध्यम से सर्वथा श्रेष्ठता पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा परिशिष्ट–1 में यथाविहित रोस्टर के अनुसार भरा जायेगा (और इसी प्रकार आगे भी) जो उस दिनांक को प्रवर्तन में नहीं रह जायेगा जिस दिनांक को क्रमशः तीनों स्रोत अपने पूर्ण आवंटित रिक्तियों को पूरा कर लें। तत्पश्चात संबंधित स्रोत के कोटा में होने वाली किसी रिक्ति के होने पर उसे उसी स्रोत से भरा जा सकता है जिसमें रिक्ति हुई होंः परन्तु यह कि रोस्टर का पालन करते समय सीधी भर्ती और एल0डी0सी0ई0 से भरे गये पदों का अपना–अपना प्रतिशत किसी भी सेवा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यदि यह प्रतिशत आवंटित कोटा से अधिक हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोन्नत व्यक्ति द्वारा वह रिक्ति भरी जायेगी जो सीधी भर्ती या एल0डी0सी0ई0 को चली जाती, यदि वह दोनों में से क्रमशः किसी एक के 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत से अधिक होगी।	(2) सेवा में नियुक्तियां, रोस्टर प्रणाली के आधार पर की जायेंगी, पहला और दूसरा पद पदोन्नति सूची से भरा जायेगा, तीसरा पद एल0डी0सी0ई0 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा और चौथा पद परिशिष्ट-'1' में यथाविहित रोस्टर के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा (और इसी प्रकार आगे भी) जो उस दिनांक को प्रवर्तन में नहीं रह जायेगा जिस दिनांक को क्रमशः तीनों स्रोत अपने पूर्ण आवंटित कोटा को पूरा कर लें।

परिशिष्ट–1 का प्रतिस्थापन

7–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट–'1' के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
(विद्यमान परिशिष्ट)	**(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट)**
परिशिष्ट-'1'	परिशिष्ट-'2'
(नियम 22 देखिये)	**(नियम 22 देखियें)**
उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग में नियुक्ति के लिए अनुसरण किया जाने वाला रोस्टरः	उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग में नियुक्ति के लिए अनुसरण किया जाने वाला रोस्टरः

नियुक्ति के लिए हकदारी					**नियुक्ति के लिए हकदारी**				
पद का क्रम संख्या	प्रोन्नत व्यक्ति 65 प्रतिशत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत	एल0डी0 सी0ई0 10 प्रतिशत	स्रोत जिसके लिए पद परिलक्षित है।	पद का क्रम संख्या	प्रोन्नत व्यक्ति 50 प्रतिशत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत	एल0डी0 सी0ई0 25 प्रतिशत	स्रोत जिसके लिए पद परिलक्षित है।
1	0.65	0.25	0.10	प्रोन्नत व्यक्ति	1	0.50	0.25	0.25	प्रोन्नत व्यक्ति
2	1.30	0.50	0.20	सीधी भर्ती	2	1.00	0.50	0.50	प्रोन्नत व्यक्ति
3	1.95	0.75	0.30	प्रोन्नत व्यक्ति	3	1.50	0.75	0.75	एल0डी0 सी0ई0–1
4	2.60	1.00	0.40	प्रोन्नत व्यक्ति	4	2.00	1.00	1.00	सीधी भर्ती–1
5	3.25	1.25	0.50	एल0डी0 सी0ई0	5	2.50	1.25	1.25	प्रोन्नत व्यक्ति
6	3.90	1.50	0.60	प्रोन्नत व्यक्ति	6	3.00	1.50	1.50	प्रोन्नत व्यक्ति
7	4.55	1.75	0.70	सीधी भर्ती	7	3.50	1.75	1.75	एल0डी0 सी0ई0 –2
8	5.20	2.00	0.80	प्रोन्नत व्यक्ति	8	4.00	2.00	2.00	सीधी भर्ती–2
9	5.85	2.25	0.90	प्रोन्नत व्यक्ति	9	4.50	2.25	2.25	प्रोन्नत व्यक्ति
10	6.50	2.50	1.00	प्रोन्नत व्यक्ति	10	5.00	2.50	2.50	प्रोन्नत व्यक्ति
11	7.15	2.75	1.10	सीधी भर्ती	11	5.50	2.75	2.75	एल0डी0 सी0ई0–3
12	7,80	3.00	1.20	प्रोन्नत व्यक्ति	12	6.00	3.00	3.00	सीधी भर्ती–3
13	8.45	3.25	1.30	प्रोन्नत व्यक्ति	13	6.50	3.25	3.25	प्रोन्नत व्यक्ति
14	9.10	3.50	1.40	सीधी भर्ती	14	7.00	3.50	3.50	प्रोन्नत व्यक्ति
15	9.75	3.75	1.50	प्रोन्नत व्यक्ति	15	7.50	3.75	3.75	एल0डी0 सी0ई0–4
16	10.40	4.00	1.60	एल0डी0 सी0ई0	16	8.00	4.00	4.00	सीधी भर्ती–4

पद का क्रम संख्या	प्रोन्नत व्यक्ति 65 प्रतिशत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत	एल0डी0 सी0ई0 10 प्रतिशत	स्रोत जिसके लिए पद परिलक्षित है।	पद का क्रम संख्या	प्रोन्नत व्यक्ति 50 प्रतिशत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत	एल0डी0 सी0ई0 25 प्रतिशत	स्रोत जिसके लिए पद परिलक्षित है।
17	11.05	4.25	1.70	प्रोन्नत व्यक्ति	17	8.50	4.25	4.25	प्रोन्नत व्यक्ति
18	11.70	4.50	1.80	प्रोन्नत व्यक्ति	18	9.00	4.50	4.50	प्रोन्नत व्यक्ति
19	12.35	4.75	1.90	सीधी भर्ती	19	9.50	4.75	4.75	एल0डी0 सी0ई0–5
20	13.00	5.00	2.00	प्रोन्नत व्यक्ति	20	10.00	5.00	5.00	सीधी भर्ती–5
21	13.65	5.25	2.10	प्रोन्नत व्यक्ति	21	10.50	5.25	5.25	प्रोन्नत व्यक्ति
22	14.30	5.50	2.20	सीधी भर्ती	22	11.00	5.50	5.50	प्रोन्नत व्यक्ति
23	14.95	5.75	2.30	प्रोन्नत व्यक्ति	23	11.50	5.75	5.75	एल0डी0 सी0ई0–6
24	15.60	6.00	2.40	प्रोन्नत व्यक्ति	24	12.00	6.00	6.00	सीधी भर्ती–6
25	16.25	6.25	2.50	एल0डी0 सी0ई0	25	12.50	6.25	6.25	प्रोन्नत व्यक्ति
26	16.90	6.50	2.60	प्रोन्नत व्यक्ति	26	13.00	6.50	6.50	प्रोन्नत व्यक्ति
27	17.55	6.75	2.70	सीधी भर्ती	27	13.50	6.75	6.75	एल0डी0 सी0ई0–7
28	18.20	7.00	2.80	प्रोन्नत व्यक्ति	28	14.00	7.00	7.00	सीधी भर्ती–7
29	18.85	7.25	2.90	प्रोन्नत व्यक्ति	29	14.50	7.25	7.25	प्रोन्नत व्यक्ति
30	19.50	7.50	3.00	प्रोन्नत व्यक्ति	30	15.00	7.50	7.50	प्रोन्नत व्यक्ति
31	20.15	7.75	3.10	सीधी भर्ती	31	15.50	7.75	7.75	एल0डी0 सी0ई0–8
32	20.80	8.00	3.20	प्रोन्नत व्यक्ति	32	16.00	8.00	8.00	सीधी भर्ती–8
33	21.45	8.25	3.30	प्रोन्नत व्यक्ति	33	16.50	8.25	8.25	प्रोन्नत व्यक्ति
34	22.10	8.50	3.40	सीधी भर्ती	34	17.00	8.50	8.50	प्रोन्नत व्यक्ति
35	22.75	8.75	3,50	प्रोन्नत व्यक्ति	35	17.50	8.75	8.75	एल0डी0 सी0ई0–9
36	23,40	9.00	3.60	एल0डी0 सी0ई0	36	18.00	9.00	9.00	सीधी भर्ती–9
37	24.05	9.25	3.70	प्रोन्नत व्यक्ति	37	18.50	9.25	9.25	प्रोन्नत व्यक्ति
38	24.70	9.50	3.80	प्रोन्नत व्यक्ति	38	19.00	9.50	9.50	प्रोन्नत व्यक्ति
39	25.35	9.75	3.90	सीधी भर्ती	39	19.50	9.75	9.75	एल0डी0 सी0ई0–10

पद का क्रम संख्या	प्रोन्नत व्यक्ति 65 प्रतिशत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत	एल0डी0 सी0ई0 10 प्रतिशत	स्रोत जिसके लिए पद परिलक्षित है।	पद का क्रम संख्या	प्रोन्नत व्यक्ति 50 प्रतिशत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत	एल0डी0 सी0ई0 25 प्रतिशत	स्रोत जिसके लिए पद परिलक्षित है।
40	26.00	10.00	4.00	प्रोन्नत व्यक्ति	40	20.00	10.00	10.00	सीधी भर्ती—10
41	26.65	10.25	4.10	प्रोन्नत व्यक्ति	41	20.50	10.25	10.25	प्रोन्नत व्यक्ति
42	27.30	10.50	4.20	सीधी भर्ती	42	21.00	10.50	10.50	प्रोन्नत व्यक्ति
43	27.95	10.75	4.30	प्रोन्नत व्यक्ति	43	21.50	10.75	10.75	एल0डी0 सी0ई0—11
44	28.60	11.00	4.40	प्रोन्नत व्यक्ति	44	22.00	11.00	11.00	सीधी भर्ती—11
45	29.25	11.25	4.50	एल0डी0 सी0ई0	45	22.50	11.25	11.25	प्रोन्नत व्यक्ति
46	29.90	11.50	4.60	प्रोन्नत व्यक्ति	46	23.00	11.50	11.50	प्रोन्नत व्यक्ति
47	30.55	11.75	4.70	सीधी भर्ती	47	23.50	11.75	11.75	एल0डी0 सी0ई0—12
48	31.20	12.00	4.80	प्रोन्नत व्यक्ति	48	24.00	12.00	12.00	सीधी भर्ती—12
49	31.85	12.25	4.90	प्रोन्नत व्यक्ति	49	24.50	12.25	12.25	प्रोन्नत व्यक्ति
50	32.50	12.50	5.00	प्रोन्नत व्यक्ति	50	25.00	12.50	12.50	प्रोन्नत व्यक्ति
51	33.15	12.75	5.10	सीधी भर्ती	51	25.50	12.75	12.75	एल0डी0 सी0ई0—13
52	33.80	13.00	5.20	प्रोन्नत व्यक्ति	52	26.00	13.00	13.00	सीधी भर्ती—13
53	34.45	13.25	5.30	प्रोन्नत व्यक्ति	53	26.50	13.25	13.25	प्रोन्नत व्यक्ति
54	35.10	13.50	5.40	सीधी भर्ती	54	27.00	13.50	13.50	प्रोन्नत व्यक्ति
55	35.75	13.75	5.50	प्रोन्नत व्यक्ति	55	27.50	13.75	13.75	एल0डी0 सी0ई0—14
56	36,40	14.00	5.60	एल0डी0 सी0ई0	56	28.00	14.00	14.00	सीधी भर्ती—14
57	37.05	14.25	5.70	प्रोन्नत व्यक्ति	57	28.50	14.25	14.25	प्रोन्नत व्यक्ति
58	37.70	14.50	5.80	प्रोन्नत व्यक्ति	58	29.00	14.50	14.50	प्रोन्नत व्यक्ति
59	38.35	14.75	5.90	सीधी भर्ती	59	29.50	14.75	14.75	एल0डी0 सी0ई0—15
60	39.00	15.00	6.00	प्रोन्नत व्यक्ति	60	30.00	15.00	15.00	सीधी भर्ती—15
61	39.65	15.25	6.10	प्रोन्नत व्यक्ति	61	30.50	15.25	15.25	प्रोन्नत व्यक्ति
62	40.30	15.50	6.20	सीधी भर्ती	62	31.00	15.50	15.50	प्रोन्नत व्यक्ति
63	40.95	15.75	6.30	प्रोन्नत व्यक्ति	63	31.50	15.75	15.75	एल0डी0 सी0ई0—16

पद का क्रम संख्या	प्रोन्नत व्यक्ति 65 प्रतिशत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत	एल0डी0 सी0ई0 10 प्रतिशत	स्रोत जिसके लिए पद परिलक्षित है।	पद का क्रम संख्या	प्रोन्नत व्यक्ति 50 प्रतिशत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत	एल0डी0 सी0ई0 25 प्रतिशत	स्रोत जिसके लिए पद परिलक्षित है।
64	41.60	16.00	6.40	प्रोन्नत व्यक्ति	64	32.00	16.00	16.00	सीधी भर्ती–16
65	42.25	16.25	6.50	एल0डी0 सी0ई0	65	32.50	16.25	16.25	प्रोन्नत व्यक्ति
66	42.90	16.50	6.60	प्रोन्नत व्यक्ति	66	33.00	16.50	16.50	प्रोन्नत व्यक्ति
67	43.55	16.75	6.70	सीधी भर्ती	67	33.50	16.75	16.75	एल0डी0 सी0ई0–17
68	44.20	17.00	6.80	प्रोन्नत व्यक्ति	68	34.00	17.00	17.00	सीधी भर्ती–17
69	44.85	17.25	6.90	प्रोन्नत व्यक्ति	69	34.50	17.25	17.25	प्रोन्नत व्यक्ति
70	45.50	17.50	7.00	प्रोन्नत व्यक्ति	70	35.00	17.50	17.50	प्रोन्नत व्यक्ति
71	46.15	17.75	7.10	सीधी भर्ती	71	35.50	17.75	17.75	एल0डी0 सी0ई0–18
72	46.80	18.00	7.20	प्रोन्नत व्यक्ति	72	36.00	18.00	18.00	सीधी भर्ती–18
73	47.45	18.25	7.30	प्रोन्नत व्यक्ति	73	36.50	18.25	18.25	प्रोन्नत व्यक्ति
74	48.10	18.50	7.40	सीधी भर्ती	74	37.00	18.50	18.50	प्रोन्नत व्यक्ति
75	48.75	18.75	7.50	प्रोन्नत व्यक्ति	75	37.50	18.75	18.75	एल0डी0 सी0ई0–19
76	49.40	19.00	7.60	एल0टी0 सी0ई0	76	38.00	19.00	19.00	सीधी भर्ती–19
77	50.05	19.25	7.70	प्रोन्नत व्यक्ति	77	38.50	19.25	19.25	प्रोन्नत व्यक्ति
78	50.70	19.50	7.80	प्रोन्नत व्यक्ति	78	39.00	19.50	19.50	प्रोन्नत व्यक्ति
79	51.35	19.75	7.90	सीधी भर्ती	79	39.50	19.75	19.75	एल0डी0 सी0ई0–20
80	52.00	20.00	8.00	प्रोन्नत व्यक्ति	80	40,00	20.00	20.00	सीधी भर्ती–20
81	52.65	20.25	8.10	प्रोन्नत व्यक्ति	81	40.50	20.25	20.25	प्रोन्नत व्यक्ति
82	53.30	20.50	8.20	सीधी भर्ती	82	41.00	20.50	20.50	प्रोन्नत व्यक्ति
83	53.95	20.75	8.30	प्रोन्नत व्यक्ति	83	41.50	20.75	20.75	एल0डी0 सी0ई0–21
84	54.60	21.00	8.40	प्रोन्नत व्यक्ति	84	42.00	21.00	21.00	सीधी भर्ती–21
85	55.25	21.25	8.50	एल0डी0 सी0ई0	85	42.50	21.25	21.25	प्रोन्नत व्यक्ति
86	55.90	21.50	8.60	प्रोन्नत व्यक्ति	86	43.00	21.50	21.50	प्रोन्नत व्यक्ति
87	56.55	21.75	8.70	सीधी भर्ती	87	43.50	21.75	21.75	एल0डी0 सी0ई0–22
88	57.20	22.00	8.80	प्रोन्नत व्यक्ति	88	44.00	22.00	22.00	सीधी भर्ती–22

पद का क्रम संख्या	प्रोन्नत व्यक्ति 65 प्रतिशत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत	एल0डी0 सी0ई0 10 प्रतिशत	स्रोत जिसके लिए पद परिलक्षित है।	पद का क्रम संख्या	प्रोन्नत व्यक्ति 50 प्रतिशत	सीधी भर्ती 25 प्रतिशत	एल0डी0 सी0ई0 25 प्रतिशत	स्रोत जिसके लिए पद परिलक्षित है।
89	57.85	22.25	8.90	प्रोन्नत व्यक्ति	89	44.50	22.25	22.25	प्रोन्नत व्यक्ति
90	58.50	22.50	9.00	प्रोन्नत व्यक्ति	90	45.00	22.50	22.50	प्रोन्नत व्यक्ति
91	59.15	22.75	9.10	सीधी भर्ती	91	45.50	22.75	22.75	एल0डी0 सी0ई0–23
92	59.80	23.00	9.20	प्रोन्नत व्यक्ति	92	46.00	23.00	23.00	सीधी भर्ती–23
93	60.45	23.25	9.30	प्रोन्नत व्यक्ति	93	46.50	23.25	23.25	प्रोन्नत व्यक्ति
94	61.10	23.50	9.40	सीधी भर्ती	94	47.00	23.50	23.50	प्रोन्नत व्यक्ति
95	61.75	23.75	9.50	प्रोन्नत व्यक्ति	95	47.50	23.75	23.75	एल0डी0 सी0ई0–24
96	62.40	24.00	9.60	एल0डी0 सी0ई0	96	48.00	24.00	24.00	सीधी भर्ती–24
97	63.05	24.25	9.70	प्रोन्नत व्यक्ति	97	48.50	24.25	24.25	प्रोन्नत व्यक्ति
98	63.70	24.50	9.80	प्रोन्नत व्यक्ति	98	49.00	24.50	24.50	प्रोन्नत व्यक्ति
99	64.35	24.75	9.90	सीधी भर्ती	99	49.50	24.75	24.75	एल0डी0 सी0ई0–25
100	65.00	25.00	10.00	प्रोन्नत व्यक्ति	100	50.00	25.00	25.00	सीधी भर्ती–25

टिप्पणीः उपर्युक्त रोस्टर इस रीति से कार्यान्वित किया जायेगा कि यह नियम 22(2) के परन्तुक के साथ पठित नियम 6 में यथा उपबंधित अपने–अपने स्रोतों के लिए अपने–अपने कोटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

आज्ञा से,

एम0 देवराज,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 54/Two-4–2026-02-4003(002)/2-2025, dated March 11, 2026:

No. 54/Two-4–2026-02-4003(002)/2-2025

Dated Lucknow, March 11, 2026

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 *read* with Article 233 of the Constitution, the Governor in accordance with the recommendations of High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975.

THE UTTAR PRADESH HIGHER JUDICIAL SERVICE
(EIGHTEENTH AMENDMENT) RULES, 2026

Short title and commencement

1.(i) These rules may be called "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Eighteenth Amendment) Rules, 2026".

(ii) They shall come into force at once.

Substitution of Rule 5

2.In the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975, hereinafter referred to as the said rules *for* existing Rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1 ***(Existing rule)***	COLUMN-2 ***(Rule as here by substituted)***
5. Sources of Recruitment – The recruitment to the service shall be made-	**5. Source of Recruitment-** The recruitment to the service shall be made-
(a) by promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division) having not less than 05 years qualifying service in that cadre, on the basis of Principle of merit-*cum*-seniority and passing a suitability test.	(a) By promotion from amongst the Civil Judges (Senior Division) having not less than 05 years qualifying service in that cadre, on merit-*cum*-seniority, and passing a suitability test.
(b) by promotion strictly on the basis of merit through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division) having not less than five years qualifying service;	(b) By promotion strictly on the basis of merit, through a Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) of Civil Judge (Senior Division), having at least seven years' service in Uttar Pradesh Nyayik Sewa and not less than three years' continuous satisfactory service in the cadre of Civil Judge (Senior Division).
(c) By direct recruitment from amongst the Advocates who have been for not less than seven years, practicing as an Advocate, as on the last date fixed for the submission of application forms:	(c) By direct recruitment from amongst the advocates who have been in practice, for not less than seven years, as on the last date fixed for the submission of application forms:
Provided that only such advocates shall be permitted to appear in the examination process who have been engaged independently for conducting not less than 30 cases (other than bunch cases) for Unreserved categories and 24 cases (other than bunch cases) for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the preceding three years, from the year of publication of advertisement for recruitment, before any Court. The certificate of such independent engagement may be issued by District & Sessions Judge of the District or Registrar General/Registrar of High Courts or Secretary General of Supreme Court, as the case may be.	Provided that only such advocates shall be eligible who have in the last three years from the year of publication of advertisement for recruitment, independently conducted cases, before any Court or Tribunal, not less than: (i) 30 for Unreserved categories; (ii) 24 for candidates entitled to reservation as per these rules. **Explanation:** Appearance in a particular bunch/tagged/ together/similar cases, shall be counted as appearance in one case. The certification to the above effect shall be made by such authority as may be notified by the selection committee from time to time.

Substitution of Rule 6

3- In the said rules, *for* existing Rule 6 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1 ***(Existing rule)***	COLUMN-2 ***(Rule as here by substituted)***
6. Quota- Subject to the provisions of Rule 8, the quota for various sources of recruitment shall be –	**6. Quota-** Subject to the provisions of Rule 8, the quota for various sources of recruitment shall be -
(I) Uttar Pradesh Nyayik Sewa:	(I) Uttar Pradesh Nyayik Sewa:
(a) from amongst the Civil Judges (Senior Division) on the basis of merit-*cum*-seniority and passing a suitability test-65%;	(a) from amongst the Civil Judges (Senior Division) on the basis of merit-*cum*-seniority and passing a suitability test, subject to the rule of reservation for persons with benchmark disabilities (under rule 7 of these rules),- 50%;
(b) On the basis of merit through limited competitive examination of Civil Judges (Senior Division) having not less then five years service--10%:	(b) On the basis of merit through Limited Departmental Competitive Examination of Civil Judges (Senior Division) having not less than three years' continuous service in that cadre and not less than seven years' service in Uttar Pradesh Nyayik Sewa, subject to the rule of reservation for persons with benchmark disabilities (under rule 7 of these rules)--25%:
Provided that in case of there being any shortfall in the vacancies to be filled up on the basis of in cadre competitive examination, the short fall of 10% reserved for such promotion will be made good by corresponding increase in the quota reserved for promotion of Civil Judge (Senior Division) referred to in Clause (i) (a).	Provided that in case any vacancy reserved for LDCE remains unfilled in any recruitment cycle, the same shall be filled in that year, by promotion based on merit-*cum*-seniority, from amongst eligible Civil Judge (Senior Division) under clause (a) of this rule. ***Explanation:*** The quota for filling vacancies through LDCE shall be 25% of the notified cadre strength of Higher Judicial Service. Accordingly, proportionate number of vacancies will be allocated at every exercise for promotion (till the requisite quota is achieved).
(II) Direct recruitment from Bar -25%:	(II) Direct recruitment from Bar - 25%:
Provided that where the number of vacancies to be filled in by any of the sources in accordance with the quota is in fraction, less than half shall be ignored and the fraction of half or more shall ordinarily be counted as one.	Provided, where the number of vacancies to be filled through any of the sources (in accordance with the quota) is in fraction, then, less than half shall be ignored and the fraction of half or more shall be counted as one.

Amendment of Clause (b) of sub-rule (1) in Rule 18

4- In the said rules, in Rule 18 *for* existing Clause (b) of sub-rule (1) as set out in Column-1 below, the Clause (b) of sub-rule (1) as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1 ***(Existing Clause)***	COLUMN-2 ***(Clause as here by substituted)***
18. Procedure of Selection –	**18. Procedure of Selection-**
(1)The Selection Committee referred to in Rule 16:	(1) The Selection Committee referred to in Rule 16:

COLUMN-1 *(Existing Clause)*	COLUMN-2 *(Clause as here by substituted)*
(b) may, if number of eligible applicants exceed 10 times of the number of vacancies, hold a preliminary examination for judging suitability of candidates to be admitted in written examination. The preliminary examination shall consist of one paper of 100 marks of two hours duration from the syllabus as prescribed under Rule 16:	(b) may, if number of eligible applicants exceed 10 times of the number of vacancies, hold a preliminary examination to judge suitability of candidates to be admitted in the main written examination for that recruitment year. The preliminary examination shall consist of one paper of 100 marks of two hours duration from the syllabus as prescribed under rule 16:
Provided that only those candidates shall be treated to be eligible for the main written examination who secure minimum 45% marks in the preliminary examination subject to 20 times of the number of vacancies category-wise *i.e.*, General, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.	Provided, only those candidates shall be eligible for the main written examination who secure minimum 45% marks in the preliminary examination, subject to 20 times of the number of vacancies, category-wise: Provided further that the minimum qualifying marks at the preliminary examination shall be 40%, subject to 20 times the number of vacancies category-wise for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and persons with benchmark disabilities.

Substitution of Rule 20

5- In the said rules, *for* existing Rule 20 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted* namely:–

COLUMN-1 *(Existing rule)*	COLUMN-2 *(Rule as here by substituted)*
20. Promotion of members of the Nyayik Sewa as referred to in Rule 5(a)–	**20. Promotion of members of the Nyayik Sewa as referred to in Rule 5(a)–**
(1) Recruitment by promotion of members of the Nyayik Sewa shall be made by selection on the principle of merit-*cum*-seniority and on passing such a suitability test, as prescribed under rule 16.	(1) Recruitment by promotion of members of the Nyayik Sewa shall be made by selection on the principle of merit-*cum*-seniority, and on passing a suitability test according to the syllabus as prescribed under rule 16 of the Rules. In assessing the merit of a candidate, the Selection Committee, may apply such other parameters that the Court may deem fit, to test merit and suitability.
(2) The field of eligibility for recruitment by promotion shall be confined to four times the number of vacancies to be filled by promotion. The selection Committee shall prepare a list in order of seniority of the officers eligible under rule 5(a) of these rules.	(2) The field of eligibility for recruitment by promotion shall be confined to two times the number of vacancies to be filled by promotion. The Selection Committee shall prepare a list in order of seniority of the officers eligible under rule 5(a) of these rules.
(3) The Selection Committee shall, after examining the record of the officers included in the list prepared under sub-rule (2) of this rule make a preliminary selection of the officers who in its opinion are fit to be appointed on the basis of merit-*cum*-seniority. In assessing the merit of a candidate, the Selection Committee have due regard to his service record, ability, character and seniority. The list shall contain the names of officers twice the number of vacancies required to be filled by promotion of the members of the Nyayik Sewa.	(3) The Selection Committee shall, after examining the record of the officers included in the list prepared under sub-rule (2) of this rule; and the marks obtained in suitability test, make a preliminary selection of the officers, who in its opinion are to be promoted.

COLUMN-1 *(Existing rule)*	COLUMN-2 *(Rule as here by substituted)*
(4) The Selection Committee shall forward the list of the candidates chosen at the preliminary selection to the Chief Justice along with the names of the Officers who, if any, in the opinion of the Committee have been passed over for promotion to the Service.	(4) The Selection Committee shall forward the list of the candidates chosen at the preliminary selection to the Chief Justice, along with the names of the Officers, who, in its opinion, are fit to be promoted in the cadre of Higher Judicial Service. In that, it shall include the vacancies referred to in proviso to rule 6(1).
(5) The Court shall examine the recommendations of the Selection Committee and make a final selection for promotion and prepare a list in order of seniority of the candidates who are considered fit for promotion and forward the same to the Governor. The list shall remain operative only till the next recruitment.	(5) The Court shall examine the recommendations of the Selection Committee and make a final selection for promotion and prepare a list in order of seniority of the candidates who are considered fit for promotion, and forward the same to the Governor.

Amendment of sub-rule (2) in Rule 22

6. In the said rules, in Rule 22 *for* existing sub-rule (2) as set out in Column-1 below, the sub-rule (2) as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-1 *(Existing sub-rule)*	COLUMN-2 *(Sub-rule as here by substituted)*
22. Appointment: (2) Appointments to the service shall be made on the basis of roster system, the first post shall be filled from the list of promotees, the second post shall be filled up by direct recruit, the third and fourth posts shall be filled up from the list of promotees and fifth post shall be filled up by the candidate selected strictly on merit through LDCE (and so on) according to the roster as prescribed in Appendix '1', which will cease to become operative on the date the respective three streams achieve their full allotted vacancies. Thereafter on account of arising any vacancy in quota of respective stream the same could be filled-up from the same stream of which vacancy arises; Provided that while following the roster at no point of time the respective percentage of posts filled from direct recruit and LDCE shall exceed 25% and 10% of the strength of service. In case the percentage is exceeding the allotted quota, in such eventuality the promotee shall occupy the vacancy which would have gone to the direct recruit or LDCE, had not the same been in excess of 25% and 10% respectively of either of the two.	**22. Appointment:** (2) Appointments to the service shall be made on the basis of roster system, the first and second post shall be filled from the list of promotees, the third post shall be filled by candidate selected through LDCE and the fourth post shall be filled by the direct recruit (and so on) according to the roster as prescribed in Appendix '1', which will cease to become operative on the date the respective three streams achieve their full allocated quota.

7.In the said rules, *for* the existing Appendix '1' as set out in Column-1 below, the Appendix as set out in Column-2 shall be *substituted* namely:–

Substitution of Appendix '1'

COLUMN-1	COLUMN-2
(Existing Appendix)	***(Appendix as here by substituted)***
Appendix '1'	Appendix '1'
(*See Rule 22*)	(*See Rule 22*)
The Roster to be followed for appointment in the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Cadre:	The Roster to be followed for appointment in the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Cadre:
Appointment of Entitlement	Appointment of Entitlement

Serial number of Post	Promotees 65%	Direct Recruits 25%	LDCE 10%	Stream for which the post is identified	Serial number of Post	Promotees 50%	Direct Recruits 25%	LDCE 25%	Stream for which the post is identified
1	0.65	0.25	0.10	Promotee	1	0.50	0.25	0.25	Promotee
2	1.30	0.50	0.20	Direct Recruit	2	1.00	0.50	0.50	Promotee
3	1.95	0.75	0.30	Promotee	3	1.50	0.75	0.75	LDCE-1
4	2.60	1.00	0.40	Promotee	4	2.00	1.00	1.00	Direct Recruit-1
5	3.25	1.25	0.50	LDCE	5	2.50	1.25	1.25	Promotee
6	3.90	1.50	0.60	Promotee	6	3.00	1.50	1.50	Promotee
7	4.55	1.75	0.70	Direct Recruit	7	3.50	1.75	1.75	LDCE-2
8	5.20	2.00	0.80	Promotee	8	4.00	2.00	2.00	Direct Recruit-2
9	5.85	2.25	0.90	Promotee	9	4.50	2.25	2.25	Promotee
10	6.50	2.50	1.00	Promotee	10	5.00	2.50	2.50	Promotee
11	7.15	2.75	1.10	Direct Recruit	11	5.50	2.75	2.75	LDCE-3
12	7.80	3.00	1.20	Promotee	12	6.00	3.00	3.00	Direct Recruit-3
13	8.45	3.25	1.30	Promotee	13	6.50	3.25	3.25	Promotee
14	9.10	3.50	1.40	Direct Recruit	14	7.00	3.50	3.50	Promotee
15	9.75	3.75	1.50	Promotee	15	7.50	3.75	3.75	LDCE-4
16	10.40	4.00	1.60	LDCE	16	8.00	4.00	4.00	Direct Recruit-4
17	11.05	4.25	1.70	Promotee	17	8.50	4.25	4.25	Promotee
18	11.70	4.50	1.80	Promotee	18	9.00	4.50	4.50	Promotee
19	12.35	4.75	1.90	Direct Recruit	19	9.50	4.75	4.75	LDCE-5
20	13.00	5.00	2.00	Promotee	20	10.00	5.00	5.00	Direct Recruit-5
21	13.65	5.25	2.10	Promotee	21	10.50	5.25	5.25	Promotee
22	14.30	5.50	2.20	Direct Recruit	22	11.00	5.50	5.50	Promotee
23	14.95	5.75	2.30	Promotee	23	11.50	5.75	5.75	LDCE-6
24	15.60	6.00	2.40	Promotee	24	12.00	6.00	6.00	Direct Recruit-6
25	16.25	6.25	2.50	LDCE	25	12.50	6.25	6.25	Promotee
26	16.90	6.50	2.60	Promotee	26	13.00	6.50	6.50	Promotee
27	17.55	6.75	2.70	Direct Recruit	27	13.50	6.75	6.75	LDCE-7

Serial number of Post	Promotees 65%	Direct Recruits 25%	LDCE 10%	Stream for which the post is identified	Serial number of Post	Promotees 50%	Direct Recruits 25%	LDCE 25%	Stream for which the post is identified
28	18.20	7.00	2.80	Promotee	28	14.00	7.00	7.00	Direct Recruit-7
29	18.85	7.25	2.90	Promotee	29	14.50	7.25	7.25	Promotee
30	19.50	7.50	3.00	Promotee	30	15.00	7.50	7.50	Promotee
31	20.15	7.75	3.10	Direct Recruit	31	15.50	7.75	7.75	LDCE-8
32	20.80	8.00	3.20	Promotee	32	16.00	8.00	8.00	Direct Recruit-8
33	21.45	8.25	3.30	Promotee	33	16.50	8.25	8.25	Promotee
34	22.10	8.50	3.40	Direct Recruit	34	17.00	8.50	8.50	Promotee
35	22.75	8.75	3,50	Promotee	35	17.50	8.75	8.75	LDCE-9
36	23,40	9.00	3.60	LDCE	36	18.00	9.00	9.00	Direct Recruit-9
37	24.05	9.25	3.70	Promotee	37	18.50	9.25	9.25	Promotee
38	24.70	9.50	3.80	Promotee	38	19.00	9.50	9.50	Promotee
39	25.35	9.75	3.90	Direct Recruit	39	19.50	9.75	9.75	LDCE-10
40	26.00	10.00	4.00	Promotee	40	20.00	10.00	10.00	Direct Recruit-10
41	26.65	10.25	4.10	Promotee	41	20.50	10.25	10.25	Promotee
42	27.30	10.50	4.20	Direct Recruit	42	21.00	10.50	10.50	Promotee
43	27.95	10.75	4.30	Promotee	43	21.50	10.75	10.75	LDCE-11
44	28.60	11.00	4.40	Promotee	44	22.00	11.00	11.00	Direct Recruit-11
45	29.25	11.25	4.50	LDCE	45	22.50	11.25	11.25	Promotee
46	29.90	11.50	4.60	Promotee	46	23.00	11.50	11.50	Promotee
47	30.55	11.75	4.70	Direct Recruit	47	23.50	11.75	11.75	LDCE-12
48	31.20	12.00	4.80	Promotee	48	24.00	12.00	12.00	Direct Recruit-12
49	31.85	12.25	4.90	Promotee	49	24.50	12.25	12.25	Promotee
50	32.50	12.50	5.00	Promotee	50	25.00	12.50	12.50	Promotee
51	33.15	12.75	5.10	Direct Recruit	51	25.50	12.75	12.75	LDCE-13
52	33.80	13.00	5.20	Promotee	52	26.00	13.00	13.00	Direct Recruit-13
53	34.45	13.25	5.30	Promotee	53	26.50	13.25	13.25	Promotee
54	35.10	13.50	5.40	Direct Recruit	54	27.00	13.50	13.50	Promotee
55	35.75	13.75	5.50	Promotee	55	27.50	13.75	13.75	LDCE-14
56	36,40	14.00	5.60	LDCE	56	28.00	14.00	14.00	Direct Recruit-14
57	37.05	14.25	5.70	Promotee	57	28.50	14.25.	14.25	Promotee

Serial number of Post	Promotees 65%	Direct Recruits 25%	LDCE 10%	Stream for which the post is identified	Serial number of Post	Promotees 50%	Direct Recruits 25%	LDCE 25%	Stream for which the post is identified
58	37.70	14.50	5.80	Promotec	58	29.00	14.50	14.50	Promotee
59	38.35	14.75	5.90	Direct Recruit	59	29.50	14.75	14.75	LDCE-15
60	39.00	15.00	6.00	Promotee	60	30.00	15.00	15.00	Direct Recruit-15
61	39.65	15.25	6.10	Promotee	61	30.50	15.25	15.25	Promotee
62	40.30	15.50	6.20	Direct Recruit	62	31.00	15.50	15.50	Promotee
63	40.95	15.75	6.30	Promotee	63	31.50	15.75	15.75	LDCE-16
64	41.60	16.00	6.40	Promotee	64	32.00	16.00	16.00	Direct Recruit-16
65	42.25	16.25	6.50	LDCE	65	32.50	16.25	16.25	Promotee
66	42.90	16.50	6.60	Promotee	66	33.00	16.50	16.50	Promotee
67	43.55	16.75	6.70	Direct Recruit	67	33.50	16.75	16.75	LDCE-17
68	44.20	17.00	6.80	Promotee	68	34.00	17.00	17.00	Direct Recruit-17
69	44.85	17.25	6.90	Promotee	69	34.50	17.25	17.25	Promotee
70	45.50	17.50	7.00	Promotee	70	35.00	17.50	17.50	Promotee
71	46.15	17.75	7.10	Direct Recruit	71	35.50	17.75	17.75	LDCE-18
72	46.80	18.00	7.20	Promotee	72	36.00	18.00	18.00	Direct Recuit-18
73	47.45	18.25	7.30	Promotee	73	36.50	18.25	18.25	Promotee
74	48.10	18.50	7.40	Direct Recruit	74	37.00	18.50	18.50	Promotee
75	48.75	18.75	7.50	Promotee	75	37.50	18.75	18.75	LDCE-19
76	49.40	19.00	7.60	LDCE	76	38.00	19.00	19.00	Direct Recruit-19
77	50.05	19.25	7.70	Promotee	77	38.50	19.25	19.25	Promotee
78	50.70	19.50	7.80	Promotee	78	39.00	19.50	19.50	Promotee
79	51.35	19.75	7.90	Direct Recruit	79	39.50	19.75	19.75	LDCE-20
80	52.00	20.00	8.00	Promotee	80	40.00	20.00	20.00	Direct Recruit-20
81	52.65	20.25	8.10	Promotee	81	40.50	20.25	20.25	Promotee
82	53.30	20.50	8.20	Direct Recruit	82	41.00	20.50	20.50	Promotee
83	53.95	20.75	8.30	Promotee	83	41.50	20.75	20.75	LDCE-21
84	54.60	21.00	8.40	Promotee	84	42.00	21.00	21.00	Direct Recruit-21
85	55.25	21.25	8.50	LDCE	85	42.50	21.25	21.25	Promotee
86	55.90	21.50	8.60	Promotee	86	43.00	21.50	21.50	Promotee
87	56.55	21.75	8.70	Direct Recruit	87	43.50	21.75	21.75	LDCE-22
88	57.20	22.00	8.80	Promotee	88	44.00	22.00	22.00	Direct Recruit-22

Serial number of Post	Promotees 65%	Direct Recruits 25%	LDCE 10%	Stream for which the post is identified	Serial number of Post	Promotees 50%	Direct Recruits 25%	LDCE 25%	Stream for which the post is identified
89	57.85	22.25	8.90	Promotee	89	44.50	22.25	22.25	Promotee
90	58.50	22.50	9.00	Promotee	90	45.00	22.50	22.50	Promotee
91	59.15	22.75	9.10	Direct Recruit	91	45.50	22.75	22.75	LDCE-23
92	59.80	23.00	9.20	Promotee	92	46.00	23.00	23.00	Direct Recruit-23
93	60.45	23.25	9.30	Promotee	93	46.50	23.25	23.25	Promotee
94	61.10	23.50	9.40	Direct Recruit	94	47.00	23.50	23.50	Promotee
95	61.75	23.75	9.50	Promotee	95	47.50	23.75	23.75	LDCE-24
96	62.40	24.00	9.60	LDCE	96	48.00	24.00	24.00	Direct Recruit-24
97	63.05	24.25	9.70	Promotee	97	48.50	24.25	24.25	Promotee
98	63.70	24.50	9.80	Promotee	98	49.00	24.50	24.50	Promotee
99	64.35	24.75	9.90	Direct Recruit	99	49.50	24.75	24.75	LDCE-25
100	65.00	25.00	10.00	Promotee	100	50.00	25.00	25.00	Direct Recruit-25

NOTE:- The above roster points shall be implemented in the manner that it should not exceed the respective quota for the respective streams as provided in Rule 6 *read* with proviso to Rule 22(2).

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 413 राजपत्र–2026–(1267)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 10सा0 नियुक्ति–2026–(1268)–500 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।